संख्याः—शिक्षा—एच(21)ए(1)पी.एस—16/2019—सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला—171001

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

05 दिसम्बर, 2019

05 DEC 2019

सेवा में

समस्त निजी स्कूल प्रबन्धन/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
हिमाचल प्रदेश।

विषयः— निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020—21 में लिये जाने वाले फीस व फंड का विवरण दर्शाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यो/मुख्याध्यापकों को विदित है कि गत शैक्षणिक सत्र 2019—20 में स्कूल प्रबन्धन द्वारा की गई फीस वृद्वि के कारण छात्र अभिभावक मंच व विभिन्न संगठनों द्वारा जिला स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प—शिकायत विवरणी व माननीय शिक्षा मन्त्री के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर आपको निर्देश दिये जाते है कि आप निम्निलिखत निर्देशो का कढाई से पालन करें।

1. समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये जाते है कि आप दिसम्बर माह में शिक्षक अभिभावक संघ (PTA)के माध्यम से समस्त अभिभावको को आमन्त्रित कर पाठशाला में सामान्य सभा (General House) का आयोजन करें समस्त अभिभावकों की सहमति से आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस व फण्ड के बारे विचार विमर्श करें। सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण संबन्ध विच्छेद (Break-up) सहित कक्षा बार पुस्तकों की सूची अभिभावकों की सूविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करें
2. पाठशाला प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक कक्षा में छात्रों से प्रवेश शुल्क न वसुला जाये। स्कूल की फीस व निधियां शोषण करने वाली न हो कर शिक्षा के प्रसार में सहयोग देने वाली, कर्मचारीवृन्द को सदत्त किये जाने वाले वेतन अवसंरचना के विकास और छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और क्रियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए ।
3. स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र (2020-21) के प्रथम माह में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1997 के अर्न्तगत निर्मित नियम 2003 के अनुसार पी0टी0ए0 का गठन किया जाये (जिसमें की माता—पिता मे से दो तिहाई सदस्य और अध्यापकों में से एक तिहाई सदस्य लिये जायेगें व पी0टी0ए0 अध्यक्ष अभिभावकों में से लिया जायेगा)।
4. बिना उचित अनुमति के निजी स्कूलों द्वारा स्कूलों में किताबे, कापियॉं, बर्दी व जुते आदि न बेचें जाएं तथा न ही किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियॉं, बर्दी व जुते आदि खरीदने पर बाध्य किया जाये।
5. निजी स्कूलों द्वारा School Tours & Trips के नाम पर बसूल की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समस्त स्कूलो को निर्देश दिये जाते है कि शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावकों की सहमति से बनाये जायें, टूअर प्रोग्राम के सन्दर्भ में एस डी एम को भी अवगत करवाया जाये तथा School Tours & Trips छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाये स्वैच्छिक किया जाये व इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा (Safety & Security) का सर्वोपरि ध्यान रखा जाये।
6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि (Building fund, Development fund & infrastructure fund) न बसुली जाये।
7. शैक्षणिक सत्र 2019—20 में लिये गये फीस व फण्ड सहित सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र (2020-21) के लिए निर्धारित फीस व फण्ड (मासिक व वार्षिक) का कक्षा बार विवरण सामान्य सभा में पारित

प्रस्ताव की प्रति सहित इस निदेशालय को तुरन्त प्रेषित करे।

उक्त सन्दर्भ में इस निदेशालय द्वारा पूर्व में भी समय–समय पर आपको अधिनियम, 1997 के कार्यान्वयन करने व स्कूल प्रबन्धन द्वारा ली जा रही फीस व फंड का पूर्ण विवरण देने, पाठशाला में पी0टी0ए0 गठित करने, स्कूल परिसर में किताबें कापियाँ व वर्दी जुते आदि–आदि न बेचने के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते रहें है। अतः समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेशो का कढाई से पालन करें तथा विभाग द्वारा चाही गई सूचना समय पर शिक्षा निदेशालय उच्चतर को प्रेषित करें। उपरौक्त निर्देशों का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरूद्व अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरूद्व अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेंवार होगा।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।
05 दिसम्बर, 2019

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक: षिमला– 171001,
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवष्यक कारवाई हेतु प्रेशित है:

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेष निजी सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. समस्त उप शिक्षा निदेशक को उक्त निर्देशो का पालन करने हेतु निजी स्कूलों को आगामी निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
4. अधीक्षक कम्पयूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय को विभागिय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या सम 15078 दिनांक 06-12-19 ऊना- 174303
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना

समस्त प्रबधंन/ प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक निजी पाठशालाएँ, जिला ऊना को सूचनार्थ व कढ़ाई से अनुपालना हेतु प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना